धर्म निरपेक्षतावाद और धर्म निरपेक्षीकरण (Secularism and Secularisation)

धर्म निरपेक्षवाद ऐसी विचारधारा/विश्वास है जिसके आधार पर धर्म और धर्म सम्बन्धी विचारों को इह लोक सम्बन्धी मामलों से जानबूझकर दूर रखा जाना चाहिए। यह तटस्थता की बात है। पीटर बर्गर के अनुसार धर्मनिरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज व संस्कृति के विभागों को धार्मिक एवं प्रतीकों पर प्रभाव से दूर रखा जाता है।

आधुनिक जीवन की एक विशेषता यह है कि यह गैर धर्म-निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया की विशेषता दर्शाता है, जैसे घटनाओं और व्यवहार की व्याख्या करने के लिये अब अन्धविश्वासों का सहारा कम लिया जाता है। जिस प्रकार आज संसार को देखा जाता है वह मध्ययुगीन व प्राचीन जगत से भिन्न है जिसमें यह समझा जाता था कि "ईश्वर सर्व शक्तिमान है", या कि "प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आत्माओं का हस्तक्षेप होता है," या कि

Scanned by CamScanner

"व्यक्ति के जीवन में जो कुछ होता है वह पूर्व निर्धारित होता है।" आज, रहस्य और अचम्भों में विश्वास कम हो गया है यद्यपि पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। तर्क की विजय मिथक और कहानियों की कीमत पर हुई है। यही धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया है।

वेबर धर्मनिरपेक्षीकरण को तर्क-संगतीकरण की एक प्रक्रिया मानते हैं। प्रदत्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त सिद्धान्त हैं जो वैज्ञानिक विचारों पर आधारित है, अर्थात् जो तर्क संगत है। इस विचार ने धर्म का महत्व कम कर दिया है। डार्विन, फ्रायड और मार्क्स भी मानव व्यवहार की धार्मिक व्याख्या के स्थान पर वैज्ञानिक व्याख्या में प्रमुख योगदाता रहे हैं।

धर्म पर आधुनिकता का क्या प्रभाव पड़ा है ? बर्गर इस विचार के हैं कि बढ़ती हुई सामाजिक एवं भौगोलिक गतिशीलता तथा आधुनिक संचार व्यवस्था के विकास ने व्यक्ति को धार्मिक प्रभावों की विविधता के समक्ष असहाय बना दिया है। इसलिए उन्होंने एक दूसरे के धार्मिक विश्वासों को सहन करना सीख लिया है। इसलिए लोग अब नये विचारों और नये परिप्रेक्ष्यों की संस्कृति की खोज के लिए स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। भारत में भी हम देखते हैं कि शिक्षित एवं आधुनिकता की ओर उन्मुख मुसलमान धर्मोन्मुख प्रतिमानों ने परिवर्तन के लिए खोज करना शुरु कर दिया है, जैसे तलाकशुदा पत्नियों के लिए गुजारा भत्ते की माँग (जो कि धर्म द्वारा मान्य नहीं है), बच्चों का गोद लेना, स्त्रियों को अपने पतियों को तलाक देने के लिए अधिक उदार नियमों की माँग, बहुपत्नी विवाह पर प्रतिबन्ध, आदि। हिन्दू भी स्त्रियों पर धार्मिक प्रतिबन्धों, अन्तर्जातीय विवाह पर प्रतिबन्ध, तलाक व विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबन्ध तथा सती प्रथा आदि को स्वीकार नहीं करते। लोग अपने अनुभवों का अर्थ ढूंढते हैं। वास्तव में, गैर-धार्मिक दर्शन भी अस्तित्व की सार्थक व्याख्या देते हैं।

यदि भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण का विश्लेषण किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज अधिक धर्मनिरपेक्ष हो गया है लेकिन दर्शन में जटिल है। मोटेतौर पर धर्मनिरपेक्षीकरण की धारणा बताती है कि अनेक धार्मिक मूल्य बदल गए हैं, कई प्रथाएं समाप्त हो गई हैं, और विज्ञान तथा तर्क संगतता की महत्ता बढ़ गई है (माइक ओ डोनेल, 1997 : 532-33)। यह सही है कि समाज के सांस्कृतिक और संस्थात्मक नींव में परिवर्तन मौलिक और तीव्र होना चाहिए। विवाह, परिवार, जाति और कई संस्थाओं पर धर्म का प्रभाव कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन यह भी सत्य है कि धर्म की ताकत जारी है। धर्म स्थलों पर जाने में, तीर्थयात्रा पर जाने में, धार्मिक उपवास करने में और धार्मिक त्योंहार मनाने में लोगों की अभिरुचि में परिवर्तन हो सकता है, सिविल विवाह में वृद्धि हो सकती है, यहां तक कि सक्रिय धार्मिक लोगों की संख्या में कमी हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रथाओं में कमी हिन्दुओं में धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया की ओर आवश्यक रूप से संकेत नहीं करती। सिख अभी भी धार्मिक प्रतिबन्धों को जारी रखे हुए हैं। संस्थात्मक धर्म की अपेक्षा व्यक्तिगत अर्थ और पूर्ति के माध्यम के रूप में धर्म पूरे उत्साह और शक्ति के साथ जीवित है। अतः धर्मनिरपेक्षीकरण की धारणा औपचारिक धर्म की अपेक्षा व्यक्तिगत धर्म पर कम लागू होती है। इसमें आश्चर्य नहीं कि डेविड मार्टिन जैसे विद्वान यह मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द इतना बोझिल है कि यह शब्द प्रयोग में नहीं लाया जाये (माइक ओ डोनेल, 1997 : 538)। यहां उदारवाद और कट्टरवाद के बीच सम्भावित संघर्ष को सन्दर्भित किया जाना

Scanned by CamScanner

चाहिए। उदारवाद समूहों (धार्मिक) के बीच अन्तर की परस्पर सहिष्णुता पर आधारित है, अर्थात् यह बहुवादी है। कट्टरवाद (fundamentalism) उदारवाद के विरोध से सम्बद्ध है और कभी-कभी बहुलवाद (pluralism) की हिंसात्मक अभिवृत्ति की ओर संकेत करता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान आदि देश कट्टरवादी अधिक माने जाते हैं। भूमण्डलीय सन्दर्भ में लागू करने पर धर्मनिरपेक्षीकरण की धारणा के सम्बन्ध में उदारवाद और कट्टरवाद के बीच अन्तर सार्थक है। जब पश्चिमी समाज धर्मनिरपेक्ष हो गया है (चर्च के अधिकारों में कमी आने के अर्थ में), कई मुस्लिम देशों में इस्लामिक कानून ही नागरिक व धार्मिक जीवन को संचालित करते हैं। एक दो वर्ष पूर्व (नवाब शरीफ के कार्यकाल में) पाकिस्तान ने भी इसी विचारधारा को स्वीकार किया था जिसके कारण इसे धार्मिक राज्य कहा गया था। परन्तु भारत ऐसा देश है जहां धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं यहां तक कि राजनैतिक बहुलवाद भी मौजूद है। भारत के मुसलमान जो इस्लामी परम्पराओं का निर्वाह जारी रखे हुए हैं कट्टरवादी ही बने हुए हैं जो उन्हें आधुनिकता स्वीकार करने से रोकती है। हिन्दुओं की अधिकतर संख्या के लिए उदारवाद आधुनिक हिन्दू समाज के विकास के साथ चलने वाला है।

भारतीय सन्दर्भ में धर्मनिरपेक्षवाद ने धार्मिक समुदायों के रक्षक के रुप में व उनके संघर्षों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के संदर्भ में राज्य शक्ति को बढ़ा दिया है। यह राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने को रोकता है।

वास्तव में, 'धर्मनिरपेक्ष' धारणा का प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में प्रयोग किया गया था जहां हर प्रकार की सम्पत्ति पर चर्च का ही नियंत्रण था और चर्च की सहमति के बिना कोई भी प्रयोग नहीं कर सकता था। कुछ बुद्धिजीवियों ने इस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। इन व्यक्तियों को धर्मनिरपेक्ष कहा जाने लगा जिसका अर्थ था 'चर्च से पृथक' या 'चर्च के विरुद्ध'। भारत में यह शब्द आजादी के बाद अनेक सन्दर्भों में प्रयोग किया जाने लगा। देश के विभाजन के बाद राजनीतिज्ञ अल्पसंख्यक समुदायों को, विशेष रूप से मुसलमानों को, आश्वासन दिलाना चाहते थे कि उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा। अतः नये संविधान में प्रावधान किया गया कि भारत धर्मनिरपेक्ष बना रहेगा, जिसका अर्थ था: (a) प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का उपदेश देने और पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, (b) राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और (c) सभी नागरिक अपने धार्मिक विश्वास के भेदभाव के बिना समान होंगे। इस प्रकार विरोधियों को भी वही अधिकार दिये गये जो अनुयायियों को थे। यह दर्शाता है कि एक धर्मनिरपेक्ष समाज या राज्य अधार्मिक समाज नहीं है। धर्म मौजूद रहते हैं, उनके अनुयायी अपनी धर्म पुस्तकों में प्रतिष्ठित सिद्धान्तों और प्रथाओं को मानते हैं और कोई भी बाह्य एजेन्सी, राज्य सहित, वैधानिक धार्मिक कृत्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। दूसरे शब्दों में, धर्मनिरपेक्ष समाज के दो अभिन्न तत्व हैं : (a) धर्म और राज्य की सम्पूर्ण रूप से पृथकता, और (b) सभी धर्मों के अनुयायियों को पूर्ण स्वतंत्रता और साथ ही नास्तिक और अनीश्वरवादियों को भी अपने-अपने विश्वास को मानने की स्वतंत्रता।

धर्मनिरपेक्ष समाज में विभिन्न धार्मिक समुदायों के नेताओं और अनुयायियों से अपेक्षा की जाती है कि वे राजनैतिक लाभ के लिए धर्म का प्रयोग न करें। परन्तु व्यवहार में

Scanned by CamScanner

हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई और अन्य धर्मावलम्बी, राजनैतिक उद्देश्यों के लिए राजनीति का प्रयोग करते हैं। कई राजनैतिक पार्टियों को गैर-धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। दिसम्बर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद संरचना के ढाहे जाने के बाद (एस.आर.बोम्मई केस के नाम से ज्ञात) एक मामला भाजपा-नीत सरकार को अपदस्थ करने के लिए अदालत में दर्ज कराया गया था। नौ न्यायाधीशों की खण्डपीठ ने 'सेक्यूलरिज्म' शब्द पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि यह शब्द संविधान में वर्णित है, लेकिन इसे बड़ी चतुराई से अपरिभाषित छोड़ दिया गया था क्योंकि इसमें सूक्ष्म परिभाषा करने की क्षमता नहीं थी। संविधान में 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द सभी धर्मों को समानता की गारन्टी देता है और राज्य द्वारा इस कानून का क्रियान्वयन किया जाना था। इस प्रकार कानूनी विचार से भाजपा को अपदस्थ करने का तर्क स्वीकार नहीं किया गया। इसमें आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग कहते हैं कि एस. आर. बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय की मान्यता थी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत 'हिन्दुत्व' की अपील स्वीकृत हो गई। अन्य दलों के धर्म पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राजनैतिक दलों के लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ मुस्लिम, पिछड़ी जातियों, तथा अनुसूचित जातियों व जनजातियों के वोट बैंक का बनाना था। मई 1996 में लोकसभा चुनावों तथा अक्टूबर 1996 में उत्तर प्रदेश की विधान सभा चुनावों में और फिर फरवरी 1998 तथा सितम्बर 1999 में संसदीय चुनावों में जब केन्द्र में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आयी, स्वार्थी राजनैतिक दलों ने भाजपा को मिलकर साम्प्रदायिक पार्टी कहा। साम्प्रदायिकता के विरुद्ध यह शोर केवल वोट तथा राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए था। अप्रैल 1999 में 13 पार्टियों का केन्द्र में गठबन्धन तथा भाजपा नीत सरकार को पराजित करने के लिए अनेक राजनैतिक दलों का एक साथ मिलना किसी आम सहमति वाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित नहीं था बल्कि केवल एक ही तथाकथित 'हिन्दू पार्टी' को सरकार बनाने से रोकना मात्र था और यह पार्टी अक्टूबर 1999 में फिर शक्ति में आ गयी।

इस प्रकार साम्प्रदायिकता न तो राजनैतिक दर्शन ही है न विचारधारा और न ही सिद्धान्त। यह तो भारतीय समाज पर राजनैतिक उद्देश्यों के लिए थोप दिया गया है। साम्प्रदायिकता के पत्ते अब केवल राजनीति प्रेरित होकर खेले जा रहे हैं। साम्प्रदायिकता को न केवल राष्ट्रीय विखण्डन रोकने के लिए जीवित रखा जा रहा है बल्कि इसलिए कि अल्पसंख्यक वोट बड़े भारतीय परिदृश्य में समाहित न हो जायें। यहां तक कि वे राजनेता जो ईमानदार माने जाते हैं, विषद रूप से जातिवाद फैलाते हैं और विरोधी राजनेताओं को साम्प्रदायिक बताते हैं। इस प्रकार शक्ति प्राप्त करने वाले अपने पापों को छिपाने के लिए साम्प्रदायिकता का सहारा लेते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि लोग धर्म के आधार पर ध्रुवीकृत बने रहें और भारत साम्प्रदायिक बना रहे।

निर्भय सिंह (1994 :111) ने माना है कि भारत में दबाव का संकट कट्टरपंथियों और राजनीतिज्ञों द्वारा धर्म के राजनीतिकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण है। इस प्रवृत्ति ने अल्पसंख्यकों को भारतीय समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया है। इस अर्थ में धर्मनिरपेक्षवाद की प्रक्रिया ही भारत के बहुधर्मी चरित्र के लिए चुनौती है। इसने धार्मिक मूल्यों के अवमूल्यन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि

Scanned by CamScanner

अन्य धर्मों और विश्वासों के प्रति अन्तर्दृष्टि और खुलेपन की आवश्यकता है। अन्य विश्वासों की प्रशंसा का अर्थ है उनको स्वतंत्रता की गारण्टी देना। इस अर्थ में धार्मिक विश्वास की आजादी धर्म के बहुरूप को मानना है।

धर्मनिरपेक्ष समाज में धर्म (Religion in Secular Society)

धर्मनिरपेक्ष समाज में धर्म कैसे सार्थक है ? धर्म मनुष्य और समाज के मामलों में महत्वपूर्ण था और महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जा रहा है। एस.सी. दुबे (1994 : 79-80) ने धर्म के नौ कार्य बताये हैं : (i) व्याख्यात्मक (explanatory) कार्य रहस्यों के प्रति क्यों, क्या आदि की व्याख्या से सम्बन्धित (ii) एकीकृत (integrative) कार्य (अनिश्चितता में समर्थन तथा असफलता और कुण्ठा में सान्तवना प्रदान करते हैं), (iii) पहचान सम्बन्धी (identity) कार्य (सुरक्षा और पहचान के लिए श्रेष्ठ सम्बन्ध बनाए रखने के लिए आधार प्रदान करना) (iv) प्रमाणित करने (validating) का कार्य (सभी मूलभूत संस्थाओं को शक्तिशाली मान्यता तथा नैतिक औचित्य प्रदान करना), (v) नियंत्रण कार्य (विचलन के विविध स्वरूपों पर अंकुश लगाना), (vi) अभिव्यक्ति (expressive) का कार्य (दुखदायी कारकों के सन्तुष्टि के कार्य करना), (vii) भविष्यवाणी का कार्य (स्थापित स्थितियों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन में), (viii) परिपक्वता का कार्य (अधिकारों की रक्षा करके व्यक्ति के जीवन इतिहास में संकटपूर्ण स्थिति में मान्यता प्रदान करना), और (ix) इच्छा पूर्ति (wish fulfilment) का कार्य (आन्तरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार की इच्छाओं की)।

जैसे-जैसे वैज्ञानिक ज्ञान और प्रविधि का क्षेत्र विस्तृत होता है, धर्म का क्षेत्र संकुचित होता जाता है। इसके कुछ कार्य अन्य एजेन्सियों द्वारा ले लिए जाते हैं। दुबे (1994 : 80) का मानना है कि सरल समाजों में, जिन्हें व्यवहारिक व अनुभवात्मक ज्ञान कम होता है, इसके प्रभाव का क्षेत्र अधिक होता है। प्रौद्योगिकी अर्थ में कम विकसित समाज में सांसारिक उपलब्धियों के लिए अति प्राकृतिक शक्तियों का बड़े पैमाने पर प्रसन्न करने के लिए संस्कार एवं प्रतीकात्मक कार्य किए जाते हैं। आधुनिक औद्योगिक समाजों में धार्मिक विश्वासों की पकड़ ढीली पड़ जाती है, यद्यपि धर्म में रुचि बनी रहती है। यह सामूहिक तथा साम्प्रदायिक मामला न होकर व्यक्तिगत रहता है। धर्म निरपेक्षीकरण/तर्क संगतीकरण की प्रक्रिया शुरु होती है जिसके कारण धर्म विविध सामाजिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण खो देता है, जैसे आर्थिक, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, आदि। धर्म के कई पारम्परिक कार्यों की देखभाल धर्मनिरपेक्ष संस्थाएं करने लगती हैं। एक समग्र धार्मिक सांसारिक दृष्टिकोण जिसमें क्रियाकलापों का समस्त ढाँचा धर्म उन्मुख होता है, उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है।

Scanned by CamScanner